

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, उत्तराखण्ड,

जिला कारागार परिसर, सुद्धोवाला, देहरादून।

E-Mail-igprisonsuk@gmail.com

संख्या-1685/13/अध-संविदा(चि0अ0)/2023 :: देहरादून:दिनांक 15 दिसम्बर, 2023

विज्ञप्ति

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, उत्तराखण्ड, जिला कारागार परिसर, सुद्धोवाला, देहरादून में दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 को प्रातः 11.00 बजे से साँय 4.00 बजे तक 'वॉक इन इण्टरव्यू' (Walk-in-interview) के माध्यम से प्रदेश की निम्नवत् कारागारों में स्थापित चिकित्सालयों हेतु संविदा के आधार पर विशेषज्ञ/सामान्य चिकित्सकों को चिकित्सा अधिकारी के रिक्तियों की उपलब्धता के सापेक्ष चयन किया जाना है :-

क्र0	कारागार का नाम	रिक्तियों	शैक्षिक अर्हता
1	सम्पूर्णानन्द शिविर/केन्द्रीय कारागार,सितारगंज (उधमसिंहनगर)	01	M.B.B.S/M.D. (Genral Medicine)
2	जिला कारागार, हरिद्वार	01	M.B.B.S/M.D. (Genral Medicine)
3	जिला कारागार, पौड़ी	01	M.B.B.S/M.D. (Genral Medicine)
4	जिला कारागार, टिहरी	01	M.B.B.S/M.D. (Genral Medicine)
5	जिला कारागार, चमोली	01	M.B.B.S/M.D. (Genral Medicine)
6	जिला कारागार, अल्मोड़ा	01	M.B.B.S/M.D. (Genral Medicine)
7	जिला कारागार, नैनीताल	01	M.B.B.S/M.D. (Genral Medicine)
8	उप कारागार, हल्द्वानी	01	M.B.B.S/M.D. (Genral Medicine)
9	उप कारागार, रूड़की	01	M.B.B.S/M.D. (Genral Medicine)

अतः इच्छुक चिकित्सक दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 को विभागीय वेबसाईट <https://prison.uk.gov.in> पर दिये गये विवरण में अंकित अभिलेखों के साथ मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, उत्तराखण्ड, जिला कारागार परिसर, सुद्धोवाला, देहरादून में उपस्थित होकर सम्पर्क कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त अधिक जानकारी के लिए दूरभाष संख्या-7534011340 व 9761364737 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

(विमला गुज्याल),

महानिरीक्षक,


कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।



## विवरण

इच्छुक अभ्यर्थी "वॉक-इन-इन्टरव्यू" के समय निम्नवत् अभिलेख (मूलप्रति एवं छायाप्रति) के साथ उपस्थित होंगे :-

- (1)- निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र।
- (2)- दो पासपोर्ट साईज फोटो।
- (3)- रू0-80.00 का बैंक ड्राफ्ट, जो कि महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के नाम हों।
- (4)- जाति प्रमाण-पत्र।
- (5)- आयु प्रमाण-पत्र (10वीं उत्तीर्ण मार्कसीट)।
- (6)- मूल निवास प्रमाण-पत्र।
- (7)- शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र (हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट)।
- (8)- एम0बी0बी0एस0/एम0डी0/एम0एस0/की अंकतालिका/डिग्री।
- (9)- उत्तराखण्ड मेडिकल आउन्सिल से पंजीकरण का प्रमाण-पत्र।
- (10)- 02 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जो अभ्यर्थी के संबंधी न हों।
- (11)- अनुभव प्रमाण-पत्र (यदि कोई हों)।


  
महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।



## आवेदन पत्र का प्रारूप

- 1- अभ्यर्थी का नाम.....
- 2- पिता/पति का नाम.....
- 3- जन्मतिथि.....
- 4- शैक्षिक योग्यता.....
- 5- क्या आप सेवानिवृत्त चिकित्सक हैं.....
- 6- यदि हाँ तो किस राज्य के किस विभाग से सेवानिवृत्त हैं.....
- 7- कार्य का अनुभव.....
- 8- स्थाई पता.....
- 9- पत्राचार का पता.....
- 10- दूरभाष संख्या..... ई-मेल.....
- 11- बैंक ड्राफ्ट का विवरण :-



बैंक का नाम	ड्राफ्ट संख्या	दिनांक	धनराशि

### 12- संलग्नकों का विवरण :-

- (1)- जाति प्रमाण-पत्र।
- (2)- आयु प्रमाण-पत्र (10वीं उत्तीर्ण मार्कसीट)।
- (3)- मूल निवास प्रमाण-पत्र।
- (4)- शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र (हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट)।
- (5)- एम0बी0बी0एस0/एम0डी0/एम0एस0/की अंकतालिका/डिग्री।
- (6)- उत्तराखण्ड मेडिकल कॉउन्सिल से पंजीकरण का प्रमाण-पत्र।
- (7)- दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।
- (8)- अनुभव प्रमाण-पत्र (यदि कोई हों)।

मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :-

- (1)- मेरे द्वारा दी गयी उपर्युक्त सभी सूचनाएँ सत्य हैं। यदि इसमें कोई तथ्य असत्य पाया जाय तो मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जायं।
- (2)- मैं शासनादेश संख्या-322/गटप्प-2-2005-277/2002, दिनांक 01.04.2005 द्वारा सुगम/दुर्गम क्षेत्र में निर्धारित वर्गीकरण की शर्तों पर संविदा के आधार पर सेवा करने का तैयार हूँ।
- (3)- मेरा चयन होने की स्थिति पर मेरे द्वारा किसी भी स्तर पर संविदा पर की गयी सेवा संबंधी लाभ का दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा तथा अनुमन्य में जो भी अन्य शर्तें होंगी उनका अनिवार्यता पालन करूंगा/करूंगी।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....  
दिनांक.....

*(Handwritten Signature)*  
15/12/23  
14.



मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून में 'वॉक इन इण्टरव्यू' (Walk-in-interview) के माध्यम से प्रदेश की कारागारों में स्थापित चिकित्सालयों हेतु संविदा के आधार पर विशेषज्ञ/सामान्य चिकित्सकों को रिक्तियों की उपलब्धता के सापेक्ष चयन हेतु शर्तें निम्नवत् हैं -

- (1)- उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1856/XXVIII-2/01(184)/2001, दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 एवं शासनादेश संख्या-769/XXVIII-2-2019/01(184)/2001, दिनांक 26.06.2019 द्वारा निर्धारित अनुमन्य मानदेय देय होगा। शर्त-4 के अनुसार उल्लिखित अवकाश के अतिरिक्त जिस दिन भी वे कार्य पर उपस्थित नहीं होंगे, उस दिन के मानदेय की कटौती कर दी जायेगी।
- (2)- 'वॉक इन इण्टरव्यू' (Walk-in-interview) की तिथि को आयु सीमा 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (3)- मानदेय का आहरण उसी लेखा शीर्षक के अंतर्गत किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत संबंधित पद के चिकित्सा अधिकारी के वेतन का आहरण किया जाना था।
- (4)- चिकित्सक को वर्ष में 14 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा।
- (5)- चिकित्सक को निर्धारित दायित्व का पालन करना होगा। यथा स्थान चिकित्सालय में चिकित्सीय सेवा देना, मेडीकोलीगल प्रकरणों की जांच कर प्रतिवेदन देना, महामारी नियन्त्रण कार्यक्रमों में विशेष ध्यान देना। इसके अतिरिक्त अन्य ऐसे कार्य जो समय-समय पर शासन एवं उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे जायें उन्हें सम्पादित करना होगा।
- (6)- चिकित्सक की सेवाएँ बिना किसी पूर्व नोटिस के किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं।
- (7)- संविदा पर यह नियुक्ति 01 वर्ष तक अथवा चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से चयन के पश्चात् नियमित चिकित्सक की तैनाती होने तक, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए अस्थाई रूप से तैनात किया जायेगा।
- (8)- संविदा पर नियुक्ति राजकीय सेवा नहीं मानी जायेगी। अभ्यर्थी को अनुबन्ध पत्र भरना होगा।

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।